पत्रांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 / 23(स्वी०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 04 / 7 / 2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्व० किरण देवी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–धुरगांव, प्रखण्ड–एकंगरसराय, जिला–नालन्दा, स्व० कौशलेन्द्र कुमार, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, बिलारी, प्रखण्ड–कतरीसराय, जिला–नालन्दा, स्व० वृजनन्दन प्रसाद, कचहरी सचिव प्रखण्ड–अस्थावा, जिला–नालन्दा की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹12,00,000.00 (बारह लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 2291 दिनांक 13.11.2024, 2417 दिनांक 29.11.2024 एवं 2596 दिनांक–16.12.2024 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–74(स्वी०) दिनांक 24.01.2025 एवं आवंटनादेश संख्या 81(आ०) दिनांक 17.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्व० किरण देवी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–धुरगांव, प्रखण्ड–एकंगरसराय, जिला–नालन्दा, स्व० कौशलेन्द्र कुमार, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, बिलारी, प्रखण्ड– कतरीसराय, जिला–नालन्दा एवं स्व० वृजनन्दन प्रसाद, कचहरी सचिव प्रखण्ड–अस्थावा, जिला–नालन्दा की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹12,00,000.00 (बारह लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी।

3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 1305 दिनांक 10.06.2025 द्वारा उक्त आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र कोषागार से पारित नहीं होने के कारण प्रत्यर्पित होने का उल्लेख करते हुये उक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश संख्या 216–सह–पठित ज्ञापांक–7243 दिनांक 11.11.2019 द्वारा ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी

न्यायमित्र की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त का प्रावधान है।

5. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित कर्मियों के आश्रित/आश्रिता को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹12,00,000.00 (बारह लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.	मृत व्यक्ति का नाम एवं पता	पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
i	स्व० किरण देवी, ग्राम कचहरी– धुरगांव, प्रखण्ड – एकंगरसराय, जिला– नालन्दा	ग्राम कचहरी सचिव	₹4,00,000.00	जिला समाहरणालय का अभिलेख वाद संख्या 03/2024–25 में स्वीकृति की अनुशंसा एवं जिला पंचायत राज पदा०, नालन्दा के पत्रांक–2291 दिनांक–13.11.2024
ii	स्व० कौशलेन्द्र कुमार, ग्राम कचहरी– बिलारी, प्रखण्ड– कतरीसराय, जिला– नालन्दा	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00	जिला समाहरणालय का अभिलेख सं०–06/2024–25 में स्वीकृति की अनुशंसा एवं जिला पंचायत राज पदा०, नालन्दा के पत्रांक–2417 दिनांक–29.11.2024
iii	स्व० वृजनन्दन प्रसाद, ग्राम पंचायत– जाना प्रखंड़–अस्थावा, जिला–नालन्दा	ग्राम कचहरी सचिव	₹4,00,000.00	जिला समाहरणालय का अभिलेख सं०–02/2024–25 में स्वीकृति की अनुशंसा एवं जिला पंचायत राज पदा०, नालन्दा के पत्रांक–2596 दिनांक–16.12.2024
कुल			**₹12,00,000.00 (बारह लाख रूपये) मात्र**	

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय " मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु–शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष– 0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष–0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से होगा। जिसकी मांग सं0–16 एवं विपत्र कोड–16–2515001980010 है।

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, नालन्दा होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए CFMS के माध्यम से मृतक के आश्रितों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

8. वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/2024 में पृष्ठ–53/टि0 पर दिनांक– 30/06/25 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका संख्या–: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/2024 में पृष्ठ संख्या–54../टि0 पर दिनांक–02/07/25... को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

14. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

4/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/2024/23(स्वी0)/पं०रा० पटना, दिनांक 04/7/25

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/2024/23(स्वी0)/पं०रा०पटना, दिनांक 04/7/25

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/2024/23(स्वी0)/पं०रा०पटना, दिनांक 04/7/25

प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट)/आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–02/2024/23(स्वी0)/पं०रा०पटना, दिनांक 04/7/25

प्रतिलिपि:– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव